

## फद अहकाम

(नियम 26)

### अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाली

राजस्व विविध प्रकरण सं० 57/2002 अनवान नरपतसिंह बनाम तहसीलदार, बाली वगैरा अंतर्गत धारा 30 (ई)  
राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम (पुराना कानून)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
<p>20/8 2019</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में जाहिर हैं कि वकील प्रार्थी श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 30 (ई) (पुराना सिलिंग कानून) के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि प्रार्थी ग्राम विरोलिया के भूतपुव जागीरदार स्व० राजूसिंह व भंवरकंवरजी द्वारा धारित भूमि मेंसे सिलिंग सीमा से आधिक्य भूमि के खरीददार हैं। बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम विरोलिया के भूतपुर्व जागीरदार राजूसिंहजी व उनकी पत्नि स्व० भंवरकंवर उर्फ चैनकंवर ने उनके द्वारा धारित भूमि गत् खसरा नंबर 97 रकबा 229 बीघा 14 बिस्वा ( दो सौ साढे उनतीस बीघा चार बिस्वा) जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 3.3.1966 के द्वारा खेताभाई, मावजीभाई, मणीभाई, भीमजीभाई को बेचान की गई। बेचान के आधार पर नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या-01 तहसीलदार, बाली द्वारा खरिददारान् खेताभाई वगैरा के नाम दर्ज कर जमाबंदी में बहैसियत खातेदार दर्ज किया गया। जिस भूमि के बटा नंबर 97/1 व 97/2 पडे। जिन चारो व्यक्तियों मेसे श्री भाणजीभाई, मणीभाई एवं भीमजीभाई का भी स्वर्गवास हो गया एवं फौतेदगी नामाकरण संख्या 60 व 61 के द्वारा उनके वारिशान एवं उत्तराधिकारीगण दानजीभाई पुत्र भाणजीभाई, खेता भाई पुत्र भाणजी भाई, मावजीभाई पुत्र भाणजीभाई का नाम बहैसियत खातेदार के खोला गया एवं जमाबंदी संवत 2027 से 2030 में भी इसका इन्द्राज किया गया। भूतपुर्व जागीरदार राजूसिंह व उनकी पत्नि के विरुद्ध पुराने सिलिंग कानून के तहत कोर्यवाही संस्थापित की गई, जिसके सिलिंग प्रकरण संख्या 60/70, 258/70 को एक साथ क्लब करते हुये अप्रार्थी संख्या-01 तहसीलदार, बाली ने कार्यवाही की। प्राधिकृत अधिकारी (सिलिंग) उपखण्ड अधिकारी बाली ने राजूसिंह व भंवरकंवर के विरुद्ध संस्थापित सिलिंग प्रकरणो को दिनांक 19.12.1970 को निर्णित करते हुये विरोलिया के गत् खसरा नंबर 97 की 279 बीघा 15 बिस्वा ( दो सौ साढे उनयाची बीघा चार बिस्वा) व गत् खसरा नंबर 128 की 144 बीघा 16 बिस्वा ( एक सौ पौने पैतालीस बीघा एक बिस्वा) भूमि का हस्तान्तरण वैद्य/सही मानते हुये धारित भूमि मेंसे उक्त भूमि वाद देकर 30 स्टेण्डर्ड एकड से आधिक्य धारित भूमि 183.3 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सरेण्डर के आदेश दिये गये। वर्णित भूमि सिलिंग में वाद देने के पश्चात् श्री खेताभाई पुत्र भाणजी भाई निवासी विरोलिया ने राजूसिंह वगैरा से खरीद शुदा भूमि, जो इनकी खातेदारी में दर्ज थी, प्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 20.07.1992 से हस्तांतरित कर दी। उक्त बेचान का नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 30.09.1992 प्रार्थीगण के नाम भरा गया।</p> <p>श्रीमति भंवरकंवरजी व राजूसिंह के विरुद्ध पारित निर्णय दिनांक 19.12.1.70 के विरुद्ध विरोलिया के खसरा नंबर 97 व 128 की भूमि के अलावा अन्य भूमि बाबत् अपील सक्षम न्यायालय में पेश की। जिन अपीलो का अंतिम निपटारा दिनांक 14.11.1996 को राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय</p>	

  
 उप - खण्ड अधिकारी

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

97/24  
हुक्म  
तारीख  
हुक्म

मे भारमुक्त व अपाधी संख्या 2 से 08 के खाते की भूमि में से 8 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधपहित करने के आदेश दिये गये। जिस निर्णय के विरुद्ध अपाधी संख्या 02 लगाय 08 के द्वारा कोई अपील निगरानी रिट नहीं की गई। जिससे अपाधीगण के पास 08 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सरेण्डर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। परन्तु फिर भी अपाधी संख्या 02 से 08 के दिनांक 03.01.1997 को प्राधीगण की खरीदशुदा खातेदारी भूमि बाबत आशान उपखण्ड अधिकारी, बाली को पेश कर दिये। अपाधी संख्या 02 लगाय 08 को उक्त आशान प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार नहीं था। अपाधी संख्या 02 से 8 के द्वारा दिनांक 03.01.1997 को आशान प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा दिनांक 10.03.1997 को आशान में दर्शित भूमि भारमुक्त है अथवा भारमुक्त, इस बाबत जांच करने व जांच रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश अपाधी तहसीलदार, बाली को दिये गये। इस पर अपाधी संख्या 01 तहसीलदार, बाली ने भी झूठे अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर को अपने पत्रांक दिनांक 14.03.1997 से भारमुक्त भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये। झूठे अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा निर्णयो व आदेशो की अनदेखी करते हुये प्राधीगण की जानकारी के बाला-बाला प्राधीगण की खरीदशुदा भूमि खसरा नंबर 126 की भारमुक्त भूमि दिनांक 15.03.1997 को अधिग्रहण कर दी। जिसकी रिपोर्ट अपाधी संख्या-01 तहसीलदार, बाली ने अपने पत्रांक दिनांक 17.03.1997 से उपखण्ड अधिकारी, बाली को भिजवाई। उक्त तमान कार्यवाही विधि विरुद्ध होने से प्राधी व अन्य खरीददारो द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष दिनांक 25.03.1997 को उजरदारी भी पेश करना बताया। इसके बादलुद दिनांक 25.03.1997 को तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राधीगण के कब्जा कास्त की भूमि का नियम विरुद्ध आवंटन की कार्यवाही भी सम्पादित कर दी गई। प्राधीगण की आपत्ति पर खसरा नंबर 126 की 2.48 हैक्टर भूमि का आवंटन नहीं करना तथा भूमि तियापयक होना बताया।

इन सब तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 30 (ई) पेश कर प्राधी की खातेदारी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर पुनः नामान्तरकरण प्राधी के नाम दर्ज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील प्राधी श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा कानूनी उद्धरण RRD 1996 भेरारान बनाम राजरत्न मण्डल अजमेर में पारित निर्णय व AIR 1993 R-N- गोसाई बनाम यशपाल धीर में पारित निर्णय की प्रतियो पेश की तथा इन कानूनी उद्धरणो में प्रतिपादित सिद्धान्तो अनुसार तिलिग कानून (पुराना) की धारा 16(4) के प्रावधानो की अयहेतना होने एवं Constitution of India, Art. 136- Approbate & reprobate- Not permissible- Principle, is based on doctrine of election के प्रावधानो अनुसार प्राधी की खरीदशुदा भूमि जो भारमुक्त भूमि थी, गलत रूप से अधिग्रहण की जाने से पुनः प्राधीगण के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाये।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि प्राधीगण द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से तहसीलदार, बाली द्वारा निरीक्षक झूठे अभिलेख सुमेरपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्राधी की खरीदशुदा भूमि को तिलिग में नियमो के विपरित अयत्न करना बताया हुये उक्त भूमि का नामान्तरकरण पुनः प्राधीगण के नाम दर्ज किये जाने की मांग की जा रही है। अपने प्रार्थना पत्र में निरीक्षक झूठे अभिलेख सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की नियमो के विपरित बताया तथा प्राधी की खातेदारी भूमि को गलत रूप से भंडारकोर के

34 - उपखंड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	<p>सिलिंग प्रकरण में अधिग्रहण करना बताया। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि सरेण्डर करने बाबत प्रस्तुत ऑप्शन को भी नियमों के विपरित बताया। तथा अधिग्रहण के बाद उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा दिनांक 25.03.1997 को की गई आवण्टन कार्यवाही को भी गलत बताया गया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/ 2019/ 1379 दिनांक 31.07.2019 से न्यायालय को रिपोर्ट भिजवाई गई हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में वर्णित ग्राम बिरोलिया स्थित भूमि बाबत माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के द्वारा प्रकरण राजस्व अपील संख्या 64/2002 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2015 के अनुसार प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (सिलिंग), पाली को प्रति प्रेषित होने से प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय(सिलिंग), पाली के न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसके प्रकरण संख्या 16/2018 अनवान नरपतसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली हैं। माननीय अतिरिक्त कलक्टर(सिलिंग), पाली के न्यायालय में लंबित अपील एवं इस न्यायालय में लंबित प्रकरण की भूमि एक ही हैं। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के राजस्व अपील संख्या 38/95 में दिनांक 14.11.1996 को पारित निर्णय के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय में अपीलान्त जो कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 से 08 है, को 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सरेण्डर करने बाबत आप्सन उपखण्ड अधिकारी, बाली को पेश करने बाबत निर्देशित किया है, जिसकी अनुपालना में ही अप्रार्थीगण संख्या 02 से 08 द्वारा दिनांक 03.01.1997 को आप्सन पेश किया गया है, जिससे वकील प्रार्थी की ऑप्शन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने की मांग स्वीकार योग्य नहीं हैं। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, पाली का निर्णय, जो अपील संख्या 121/ 2000 अनवान नरपतसिंह बनाम सरकार में दिनांक 31.01.2002 को पारित किया गया है, के अवलोकन से जाहिर हैं कि प्रार्थी नरपतसिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को माननीय अतिरिक्त कलक्टर, पाली ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार, बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि संबंधित सिलिंग प्रकरण में जागीरदार द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प की जांच कर उपरोक्त भूमि के अलावा भारमुक्त भूमि जो सिलिंग प्रकरण में संबंधित गैर सायलान के कब्जे काशत में हैं, की अवाप्ति कार्यवाही की जाकर ऐसी भूमि को सिवायक चक दर्ज करे। उक्त आदेश से प्रार्थी को भी हिदायत दी गई कि वे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाली में शपथ पत्र के साथ भारमुक्त भूमि का विवरण पेश करे। निर्णय में यह भी निर्देश दिये कि पक्षकारों को सुनकर विधि सम्मत नये सिरे से भूमि अवाप्त कर उसे सिवायक दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 15.03. 1997 के संबध में आवश्यक कार्यवाही की जावे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह जाहिर हैं कि प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त कलक्टर, पाली के आदेश, के विरुद्ध माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के न्यायालय में अपील की गई। जो राजस्व अपील संख्या 64/ 2002 दिनांक 14.05.2015 को निर्णित करते हुये प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), पाली को प्रतिप्रेषण होने से वर्तमान में माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सिलिंग), पाली के न्यायालय में लंबित है। जिसके अपील संख्या 16/</p>	

34 - राजस्व अधिकारी

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	<p>2018 अनवान नरपतसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 15.03.1997 जिससे प्रार्थी की भूमि को तहसीलदार, बाली द्वारा सिवायचक दर्ज किया है, को नामान्तरकरण अपील के माध्यम से माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, पाली में चुनौती दी जा चुकी है। जिस निर्णय के विरुद्ध भी अपील के माध्यम से पक्षकारों द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में चुनौती दी जा चुकी हैं। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 64/ 2002 दिनांक 14.05.2015 को निर्णित करते हुये प्रकरण को पुनः अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (सिलिंग), पाली को प्रति प्रेषण किया जा चुका हैं। जिसकी पालना में प्रकरण वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), पाली के न्यायालय में लंबित है, जिसके अपील संख्या 16/ 2018 अनवान नरपतसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), पाली इस न्यायालय का अपर न्यायालय है, जिनके यहाँ पर प्रार्थी का प्रकरण सुनवाई के लिये लंबित है। अपर न्यायालय में कार्यवाही के लंबित रहते हुये इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही न्यायोचित नहीं हैं। इस संबंध में संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 के प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। धारा 10 वाद का रोक दिया जाना— कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उन मेंसे कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और भारत में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और, वैसी ही अधिकारिता रखता है, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं। इसी प्रकार धारा 11 पूर्व न्याय— कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य-विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के, या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका हैं और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका हैं।</p> <p>इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय से जो अनुतोष चाहा जा रहा है। इसी भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य प्रकरण अपर न्यायालय माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली में लंबित हैं। इस न्यायालय से भी उसी अनुतोष की मांग की जा रही है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण धारा 10 व 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों से बाधित होने से इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अनुतोष अनुसार किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना विधि सम्मत नहीं हैं। विद्वान् वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धरण हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों पर चरपा नहीं होते हैं। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>

39 - सप्टेम्बर 2018, बाली